जल संसाधन विभाग

राजस्व प्राप्तियाँ

civil कंडिका।

लोक लेखा समिति- प्रकाशन संख्या - 382

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 373

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (रा० प्रा० एवं सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपस्थापन की तिथि ..../

लोक लेखा समिति- प्रकाशन संख्या - 382

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 373

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (रा० प्रा० एवं सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपस्थापन की तिथि ..../

विषय - सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	4-5
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान-सभा सचिवालय	6
3.	प्राक्कथन	7-8
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	9-56
5.	परिशिष्ट	57-72

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष- 2001-2002 ।

	सभापति	
1.	श्री रामदेव वर्मा,	स० वि० स०
	सदस्यगण	
2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स० वि० स०
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स० वि० स०
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स० वि० स०
5.	श्री शोभाकान्त मंडल,	स० वि० स०
6.	श्री गिरिधारी यादव,	स० वि० स०
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स० वि० स०
8.	श्री प्रेम कुमार,	स० वि० स०
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स० वि० स०
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स० लि० स०
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स० वि० स०
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स० वि० स०
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स० वि० स०
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स० वि० स०
15.	श्री बालदेव महतो,	स० वि० स०
16.	प्रो० नवल किशोर यादव,	स० वि० स०
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स० वि० स०
18.	डा० मु० शमीम,	स० वि० स०

लोक लेखा समिति की उपसमिति (2) के सदस्यगण :-

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स० वि० स०

संयोजक

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स० वि० स०

सदस्यगण

3.	श्री रामचन्द्र राय,	स० वि० स०
4.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स० वि० स०
5.	श्री मुनी लाल यादव,	स० वि० स०
6.	डा० मो० शमीम,	स० वि० स०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, रांची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षाक, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीरू लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव ।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह 'प्रभात' ।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव ।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव ।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी ।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी ।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी ।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान नि:स्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढ़ती गई। साथ-ही-साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमशः नौकरशाहीं के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमित्ताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढांचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढॉचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौपी है। यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक' बताया गया है । इसी रोशनी में बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.20002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों ने वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक 15 वर्षो के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधान-सभा की विशेष कृपा रही है इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना

यह कार्य सम्पादित नही हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता हूं। इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है। अन्त में ताम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटना :-

तिथि 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा

सभापति

लोक लेखा समिति

बिहार विधान-सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष 1985-86 की कंडिका-1.2 (ग)

कंडिका- 1.2 (ग) राज्य का गैर-कर राजस्व :

1985-86 और विगत दो वर्षो के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत गैर कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे दिये गये है।

	1983-84	1984-85	1985-86	1985-86 के संदर्भ में 1985-86 में वृद्धि (+) ह्रास (-)
सिंचाई नौ परिवहन जल विकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	7.37	4.27	5.78	(+) 1.51
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं	3.77	2.73	3.78	(+) 1.05

यह समिति के सूचनार्थ है ।

समिति जानना चाहती है कि :-

1. वास्तविक वसूली में इतनी कमी के क्या कारण है ?
2. क्या बजट अनुमान तैयार करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

विभागीय स्पष्टीकरण :

अपर समाहर्त्ता, राजस्व प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधर पर विषयांकित कंडिका का उत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नांकित है :-

वसूली राशि के वर्ष 83-85 में ह्रास होने के कारण यह है कि फसल की हालत अच्छी नहीं थी । उक्त वर्ष के बाद वसूली पर पूरा ध्यान दिया

जा रहा है जिसके कारण वर्ष 91-92 में वसूली 1732.42 लाख रुपया हो गई है। इस वर्ष वसूली का लक्ष्य 22 करोड़ रुपया रखा गया है।

अतः इस्र कंडिका को समाप्त समझा जाय ।

समिति का निष्कर्ष:

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में यह समिति को सूचनार्थ मात्र है समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अं० प्र० (राजस्व प्रा०) वर्ष 1985-86 की कंडिका 1.3 (ख) (12)

कंडिका- 1.3 (ख) (12) बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर -

वर्ष 1985-86 में राजस्व के अनतर्गत बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच अन्तर नीचे दिए गए है।

शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़ों	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता
सिंचाई नौ परिवहन जल विकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	8.36	5.78	(-) 2.58	30.86

समिति का निष्कर्ष :

विभागीय उत्तर अप्राप्त है समिति इस निष्कर्ष के साथ कि भविष्य में इसका पुर्नावृति न हो के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अ० प्र० (रा० प्रा०) वर्ष 1985-86 की कंडिका-1.7 (7)

असंग्रहित राजस्व

1985-86 के दौरान संग्रहित राजस्व तथा राजस्व के बकाये जिनका संग्रहण वर्ष के अनत तक नही हो सका विभाग द्वारा यथा (सूचित) ब्यौरे नीचे दिए गये है :-

राजस्व शीर्ष	1985-86 संग्रहित राशि (करोड़ रुपया में)	संग्रह के लिये बकाया राशि (करोड़ रुपया में)
जलकर	9.56	26.85

समिति का निष्कर्ष :

समिति इस निष्कर्ष के साथ कि असंग्रहित राजस्व की कुव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अं० प्र० (रा० प्रा०) वर्ष 1985-86 की कंडिका 1, 8 (ग) (5)

कंडिका- 1.8 (ग) (5) अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन

यद्यपि सरकार ने आदेश निर्गत किया है कि निरीक्षण प्रतिवेदनों का पहला उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के अन्दर विभागीय अधिकारियों द्वारा भेज दिया जाना चाहिये फिर भी मार्च, 1986 के अन्त तक निर्गत 171 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर सितम्बर 1986 तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

विभागीय स्पष्टीकरण :

अपर समाहर्त्ता राजस्व प्रशासन, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विषायांकित कंडिका का उत्तर (35-35 प्रतियों में) निम्न रूप से है :-

"उप समाहर्त्ताओं की बैठक में सभी उप समाहर्त्ता, राजस्व को आवश्यक निदेश दे दिए गए है कि हर हालत में अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विन्दुओं पर पहला अनुपालन उत्तर, प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर निश्चित रुप से महालेखाकार बिहार/वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार को उपलब्ध करा दिया गया। विषयांकित कंडिका का अनुपालन कराने पर पूरा ध्यान दिया जायेगा तथा इस कार्य की समीक्षा हर मासिक बैठक में की जायेगी ।"

अत: अनुरोध है कि विषयांकित कंडिका को विलोपित कराने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष :

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस निदेश के साथ कि वर्ष के अन्त तक ली गई राशि का सामंजस्य करा लें अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अं० प्रा० (रा० प्रा०) वर्ष 1985-86 की कंडिका- 8.1

कंडिका- 8.1 जलकर के निर्धारण के विलम्ब :-

एक राजस्व प्रमंडल (गंडक परियोजना, गोपालगंज) में 64975 एकड़ भूमि (रब्बी 260099 एकड़ और खरीफ 381876 एकड़) के संबंध में जिन्हें 1980-81 से 1983-84 वर्षो के दौरानसींचा गया, अनेक औपचारिकताओं यथा सूदकार खेसरा, खतियानी आदि की तैयारी विहित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई। इस असफलता के कारण 192 लाख रुपये (रब्बी और खरीफ के लिए क्रमश: 20.70 रुपये प्रति एकड़ और 36.20 रुपये प्रति एकड़ की वर्तमान दर से गणना करने पर) की मांग नहीं की जा सकी। कर निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी करने में विलम्ब अधोलिखित चरणों में देखी गई ।

(एकड़ में)

विलम्ब के कारण	रब्बी	खरीफ
सिंचित क्षेत्र की एवं खेसरा तेयार न करना	96248	173420
खतियानी तैयार न करना	163851	208456
योग :-	260099	381876

समिति जानना चाहेगी कि :-

1. सूदकर खेसरा और खतियानी की तैयारी क्यों समय पर पूरी नही की गई, इसके लिए कौन दोषी है ?
2. 192 लाख रु० की पुन: मांग एवं वसूली की अद्यतन स्थिति क्या है?
3. लम्बित मामलों का वर्षवार विश्लेषण समिति को उपलब्ध कराया जाये।

विभागीय स्पष्टीकरण :

"राजस्व प्रमंडल, गोपालगंज में नापी एवं खतियानी का जो कार्य लम्बित था, वह समाप्त हो गया है। इस प्रमंडल में वर्ष 1980-81 से 83-84 तक खरीफ एवं रब्बी का कुल मापी 141390 एकड़ की गई थी जिसमें 104871 एकड़ की खतियानी का कार्य वर्ष 1986-87 में पूरा कर लिया गया था, शेष 36579 एकड़ का खतियानी का कार्य दिसम्बर, 1992 में पूरा किया जा चुका है।"

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस निषकर्ष के साथ कि जलकर निर्धारण में हुये विलम्ब में सुधार लावे और भविष्य में तत्परता बरते, के साथ समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-1.2.08

कंडिका- 1.2.08- वसूली के लिए लम्बित राजस्व (जल कर)

विभागीय सूचना के आधार पर सिंचाई विभाग के पास वर्ष के अन्त तक जल-कर के 26.85 करोड़ रू0 वसूली के लिए लम्बित था ।

अपर समाहर्त्ता, राजस्व प्रशासन, जल संसाधन विभाग,पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विषयांकित कंडिका का उत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका- 1.2.08 का उत्तर :-

क्रमांक	वर्ष	वर्ष 85-86 में जलकर की राशि करोड़ रू0 में बकाया प्रतिवेदित	वसूली गई राशि लाख में
1	2	3	4
1	1985-86	26.85	-
2	1986-87	-	620.36
3	1987-88	-	753.00
4	1988-89	-	678.32
5	1989-90	-	217.41
6	1990-91	-	474.26
7	1991-92	-	1732.42
योग:-		26.85	4475.77

8. वर्ष 1992-93 में 22 करोड़ रूपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए प्रयास जारी है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि भविष्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समुचित कार्रवाई करेगी ।समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-1.2.13

कंडिका-1.2.13- सरकार के निदेश

सरकार के बिहार राज्य निर्माण निगम को 1985-86 के अंत तक 4,90,000 का निदेश किया था । लाभ/हानि के ब्योरे अप्राप्त है । (वित्त लेखे की विवरणी 14)

विभागीय स्पष्टीकरण:

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य निर्माण निगम, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधर पर विषयांकित कंडिका का उत्तर निम्नांकित है :-

1-2-13 । 85-86 (सिविल) :-

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 तक कुल 500 लाख रू0 हिस्सा पूँजी के रूप में निवेशित की गई है । इसके अतिरिक्त 200 लाख रू0 वेज एण्ड मिन्स अग्रिम के रूप उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 1985-86 में कोई नया निवेश नही है । निगम द्वारा उक्त निवेश के विरूद्ध कोई लाभांश हीं दिया गया है ।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित कंडिका को कृपया विलोपित किया जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति इस संबंध में अलग से अपनी अनुशंसा विशेष प्रतिवेदन में की है । अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-2.2.2/2.2.4

कंडिका-2.2.2/2.2.4- अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

अनुदान संख्या-28, सिंचाई एवं विद्युत, मुख्य शीर्ष 331, 332, 333, 334, 532, 533, 534 एवं 734 के अन्तर्गत लिए गए अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए । ऑकड़े नीचे दिए जा रहे है :-

मूल अनुदान	–	3,31,22,21,000 रूपये
अनुपूरक अनुदान	–	1,62,24,77,054 रूपये
कुल अनुदान	–	4,93,46,98,054 रूपये
वास्तविक व्यय	–	4,22,62,64,807 रूपये
बचत	–	70,84,33,247 रूपये
अभ्यर्पण	–	56,79,35,883 रूपये

उपरोक्त व्यय में 58,08,36.124 रूपये सम्मिलित नही होने है जो आकस्मिक निधि से अग्रिम से कर व्यय किए गए एवं व्यय वर्ष के अन्त तक समायोजित नही हुए उतनी अधिक बचत हुइ तो अनुपूरक अनुदान इतना अधिक लेने की क्या आवश्यकता था । बचत का स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा नहीं दिया गया । 70.84 करोड़ रू0 बचत की जगह 56.79 करोड़ ही अभ्यर्पित किये गये । जब 70.84 करोड़ की बचत हुइ तो आकस्मिकता निधि से 58. 08 करोड़ अग्रिम की क्या आवश्यकता था ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति इस निदेश के साथ कि आकस्मिक निधि से लिये गये अग्रिम की राशि को उक्त वर्ष के अन्त में समायोजित करने संबंधी प्रावधान को सुनिश्चित करें और भविष्य में इसका पुर्नावृत न हो

(2) अब समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-2.2.5

कंडिका-2.2.5- अनुदानों की लगातार बचत

अनुदान संख्या-28 सिंचाई एवं विद्युत के ऑकड़ों से यह पता चलता है कि 1983-84 से लगातार बचत होती रही है । प्रत्येक वर्ष की बचत की प्रतिशता नीचे दी जा रही हे :-

अनुदान संख्या	1983-84	1984-85	1985-86
28	8.09%	2.26%	14.36%

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति इस निदेश के साथ कि भविष्य में अनुदान की राशि का अधिक उपयोग हो और बजट सयंमित रहें, के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका-2.3

कंडिका-2.3 (परि0-2.2)

नयी सेवा/नयी सेवा प्रपत्र पर व्ययः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नयी सेवा पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय वितरण और सेवा के नए प्रपत्र पर विचार नही किया गया था, विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है । राज्य लोक लेखा समिति ने अपने 30 वीं प्रतिवेदन में नयी सेवा में किए जने वाले व्यय की आर्थिक सीमा की अनुशंसा की थी । एक मुश्त धन व्यवस्था से वित्त प्रेषित एक लाख रू0 था उससे अधिक लागत वाली सभी योजनाएँ नई सेवा के रूप में जानी जायेगी जिसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद विधान मंडल के देना है । ब्याज वाले कर्जे और अग्रिम जो बजट के धन व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता है । जब रकम एक लाख रूपये से अधिक हो और

दूसरे मामलों में जब व्यय धन व्यवस्था से दो गुणा हो जाय या व्यय दो लाख रू0 या इन दोनों से अधिक हो, नई सेवा कहलायेगी ।

यह देखा गया कि अनुदान संख्या-28-सिंचाई और बिजली विकास के अन्तर्गत कुछ उप-शीषा में प्रावधान से दो गुणा या दो लाख रू0 से अधिक व्यय हो गया परन्तु विधान मंडल की दृष्टि में नही लाया गया जिसकी विवरण नीचे दिया जा रहा है :- (विवरण-परि0-2.2 क्रमांक-34 से 39)

क्रमांक	शीर्ष 331-जल और बिजली विकास	प्रावधान	अधिक व्यय (लाख रूप्यों में)
34	क ।(3)(2) बेसिक तथा फंडामेंटल अनुसंधान, खगौल स्थापना	2.80	7.92
	332- बहुद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
35	ख ख ।(1) कोशी बैरेज और हेडवर्क्स	-	825.64
36	ख ख ।(3) मुख्य नहर और शाखाएँ गंडक परियोजनाएँ	350.00	850.29
37	ख ख (2) (1) बराज तथा तत्संबंधी कार्य	25.00	266.70
38	ख ख 2 (2) तिरहुत नहर	33.75	311.08
39	ख ख 2 (3) सारण नहर	30.25	274.10

विभागीय स्पष्टीकरण:

विभाग का आय-व्यय लेखा तैयार किये जाने के क्रम में परियोजनाओं के उप-शीर्ष में किये गये उपबंधित राशि का सही आकलन नहीं हो पाने के

फलस्वरूप उस उप-शीर्ष में किया गया व्यय उपबंधित राशि से अधिक हो गया । परियोजनाओं के उप-शीर्ष के अन्तर्गत किये गये प्रावधान से अधिक व्यय नयी सेवा के अन्तर्गत परिभाषित होना चाहिये था एवं इसकी सूची विधान मंडल को अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करानी चाहिये थी, परन्तु विभाग के प्रक्रियात्मक मूल/त्रुटि के कारण ऐसा नहीं हो पाया । विभाग इसकी पुनरावृत्ति नही हो, इसका उपाय सुनिश्चित कर लिया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस निदेश के साथ कि नई सेवा के लिये धन राशि को वर्ष के समाप्ति के तुरत बाद विधान मंडल में प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करें ।

समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-2.4

कंडिका-2.4- आकस्मिकता निधि से अग्रिम:

विभाग के आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की व्यवस्था है जिसे वर्ष के अन्त में निधि को वापस कर देना है कितु नीचे दिए गए मामलों में देखा गया कि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम के वर्ष के अन्त में लौटाई नही गई :-

अनुदान संख्या	शीर्ष	राशि (लाख रू0 में)
28	सिंचाई और बिजली -333-सिंचाई, नौ परिवहन जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	0.76
-	शीर्ष 334 एवं 734 उर्जा	5807.60
	कुल	5808.36

विभागीय स्पष्टीकरण :

(1) आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल ऐसे मामले में लिया जाता है जिसके लिए बजट मे उपबन्ध नही रहता है । सामान्य आकस्मिक निधि से अग्रिम स्वीकृत करते समय वित्त विभाग द्वारा अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए विधान मंडल में वोट लेने के उद्देश्य से आकलन सूची (Supplementary Schedule) उसी समय प्रशासी विभाग से प्राप्त कर ली जाती है । अतः लोक लेखा समिति के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति इस निदेश के साथ कि आकस्मिकता निधि से ली गई धन राशि को वर्ष के अन्त में समायोजित करने की व्यवस्था को कड़ाई से पालन हो, के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-2.6

कंडिका-2.6- वसूलियों में कमी:

अनुदान संख्या-28-सिंचाई एवं विद्युत के अन्तर्गत यह देखा गया कि सुवर्णरेखा परियोजना के उड़िसा सरकार के हिस्से की 950.00 लाख रू0 की प्राप्ति हुई थी जिसकी प्रत्याशा नही की गई थी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विचारोउपरान्त अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-2.9

कंडिका-2.9- विभागीय ऑकड़ों का लेखा कार्यालय के ऑकड़ों से समाधानः

व्यय पर उचित नियंत्रण विभागीय अधिकारी रख सके, यह जरूरी है कि उनके खातें में दर्ज ऑकड़ों का महालेखाकार के खातें में दर्ज ऑकड़ों से समय-समय पर समाधान अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए सरकार के स्थायी आदेश है परन्तु विभाग द्वारा इसकी अवहेलना होती रही और सिंचाई विभाग से संबंधित 9.27 करोड़ रू0 के व्यय का समाधान नहीं हो पाया ।

विभागीय स्पष्टीकरण :

वर्ष 1985-86 में सिंचाई विभाग के विभिन्न मुख्य सभी शीर्षो के अन्तर्गत कुल 493.46 करोड़ रूपये का कुल अनुदान बजट में स्वीकृत प्रावधान किया गया था । जिसके विरूद्ध वास्तविक व्यय 422.62 करोड़ रूपया हुआ है ।

कुल 9.27 करोड़ रूपये का विभागीय ऑकड़ों का लेखा कार्यालय के ऑकड़े से समाधान नही हो पाया जो कुल व्यय क 2.19 प्रतिशत होता है । भविष्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि किये गये पूरे व्यय के ऑकड़ों का लेखा कार्यालय के ऑकड़ों से समाधान समयानुसार किया जा सके। इस संदर्भ में सभी क्षेत्रीय नियंत्रण पदाधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति इस निदेश के साथ कि व्यय पर उचित नियंत्रण को ध्यान में रखते हुये लेखा का समाधान महालेखाकार कार्यालय में समय सीमा के अन्दर कराये जाने संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करें ।

(2) समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.1

कंडिका-4.1- मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.1.1

कंडिका-4.1.1-प्रस्तावना

अप्रैल 1978 से प्रभावी संशोधित सिद्धान्तों के अनुसार 2000 और 10,000 हेक्टेयर के बीच नहरी कृष्य क्षेत्र (सी0सी0ए0) वाली परियोजनाओं के माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1979-80) के अन्त तक 217 शुरू किए गए मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 173 योजनायें 6.25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजन करने के पश्चात् पूरी हो गई । उत्पलवन परियोजनाओं (सिविलरित ओवर) प्रोजेक्ट में से 24 परियोजनायें छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान पूरी की गयी । इस अवधि में सात शुरू की गई नयी परियोजनायें अधूरी रही। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संचित सिंचाई क्षमता की सृजन 7.54 लाख हेक्टेयर लक्ष्य की जगह 6.72 लाख हेक्टेयर हुआ । 1985-86 के दौरान 8 और परियोजनायें प्रारम्भ की गई मगर 35 चालू योजनायें में से जिनमें पाँचवी योजना अवधि और उसके पहले प्रारम्भ की गई 20 योजनायें सम्मिलित है, वर्ष के दौरान एक भी पूरी नही की जा सकी जिसका मुख्य कारण था भूमि अधिग्रहण में विलम्ब सर्वेक्षण . . पण मे आपूर्णता प्रभारी लंबित अनुमान तैयार करने में असाधारण देरी अ ईन तथा निर्माण कार्य क्षेत्र में बारम्बार परिवर्तन होगा ।

1984-85 तक सभी 232 परियोजनायें पर 206.96 करोड़ रू0 निदेश किए गये । 1985-86 के दौरान नि रकम के बारे में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी लेकिन 0.20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित के बारे में बतलाया गया । छठी योजना के दौरान निवेश सृजित 0.47 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 149.29 करोड़ रूपये के निवेश के समतुल्य नहीं थी।

जबकि इस अवधि के दौरान निवेश 1979-80 तक किए गये निवेश से 276 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गये, सिंचाई क्षमता केवल 9 प्रतिशत ही बढ़ पायी। विभाग के अनुसार सिंचाई क्षमता का महत्वहीन वृद्धि का मुख्य कारण परियोजनाओं और ग्रामीण जलाशयों का अपूर्ण होना था । 1985-86 के अन्त तक सृजित क्षमता के 80 प्रति (5.53 लाख हेक्टेयर) का उपयोग किया गया था ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.1.2

कंडिका-4.1.2 दस परियोजनाओं गोबई, बॉया, बांकी मसरिया फुलवरिया बटावें, पैमार पारस सुन्दर, उदेरास्थान एवं बदुआ के अभिलेखों को फरवरी से अक्टूबर 1985 और जुलाई से सितम्बर 1986 के दौरान लेखा परीक्षा में जॉच किया गया ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.1.3

4.1.3- भौतिक और वित्तीय प्रगति:

1985-86 के अंत तक नमूना जॉच किए गये दस परियोजनाओं के संबंध में निवेश समय और अतिरिक्त लागत, लक्षित और सृजित क्षमता और सिंचित क्षेत्र के ब्यांरे प्ररिशिष्ट-4.1 में दिए गऐ है ।

(11) इससे यह पता चलेगा कि कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। तीन परियोजनायें गोबाई बॉचा बाकी और मसरिया (चार से लेकर आठ वर्षो के बीच विलम्ब से पूरी हुई जिसके परिणमस्वरूप 3.60 करोड़ रू० अतिरिक्त लागत आई । अन्य सात परियोजनायें पूरी की जाये बाकी की) देरी: एक से लेकर पन्द्रह वर्ष) जिनकी अनुमानित लागत पहले से ही 73.13 करोड़ रूपये पहुँच चुकी थी । इसमें 57.95 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई यानि मूल अनुमान का 382 प्रतिशत ।

विभिन्न सम्भावित कारणों जैसे नीव्रीकरण, कार्यवेग में परिवर्तन भूमि के मुआवजे के भुगतान के बारे में सूचनायें विभाग के पास उपलब्ध नही थी .कार्य निष्पादन में बिलम्ब का मुख्य कारण था – उचित सर्वेक्षण और अन्वेपण के बिना ही निर्माण काम प्रारम्भ करना जिसके परिणामस्वरूप पुन: डिजाइन में परिर्वतन करना पड़ा । कार्य की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ी और भूमि अधिग्रहण के मामले का निपटारा न हो सका ।

(111) 1985 तक 16.75 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत 0.74 लाख की अनु- हेक्टेयर लक्ष्य की सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए दस परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई गई । 1985-86 तक 62.50 करोड़ रूपये (अनुमानित लागत कर 379 प्रतिशत) व्यय किए गये थे और सिंचाई क्षमता 0.52 लाख हेक्टेयर) लक्ष्य का 70 प्रतिशत) सृजित की गई थी 0.42 लाख हेक्टेयर वास्तविक क्षेत्र जिसकी सिंचाई की गई, लक्षित क्षमता का 57 प्रतिशत और सृजित क्षमता का 81 प्रतिशत था । यहाँ तक कि तीन समापित योजनाएँ भी लम्बित क्षमता का सृजन नहीं कर सकी । गोबाई जलाशय योजना जिसपर मूल अनुमानित लागत 0.65 करोड़ रू0 की जगह 2.36 करोड़ रू0 व्यय किए गये थे । 4900 हेक्टेयर लक्ष्य की जगह केवल 850 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजन कर सकी और 1980-81 के दौरान 429 से 850 हेक्टेयर के बीच क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था कर सकी । विभाग ने कमी का कारण निधि के अभाव में योजनाओं का हर स्तर पर अपूर्ण होना और वर्षा ऋतु में कृषकों द्वारा नहरों से पानी लेने की अभच्छा योजना के पूण्र होने में विलम्ब और लक्षित क्षमता के सृजन नहीं होने के कारण मूल योजना में प्रायोजित की गई सिंचाई की लागत प्रति हेक्टेयर 1.319 रू0 से बढ़कर 27,760 रू0 प्रति हेक्टेयर हो गई । बॉया बाकी जलाशय योजना जो 0.37 करोड़ रू0 के मूल अनुमान की जगह 0.99 करोड़ रू0 की लागत पर 1974

में पूरी हुई थी । 1,185 हेक्टेयर लक्ष्य की जगह 650 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित कर सकी और 1980-86 के दौरान औसत 400 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की । विभाग से बताया (अगस्त 1986) कि सिंचाई बातों के साथ कारण । अन्य बातों के साथ जलाशय में पानी का अभाव था । विभाग के स्पष्टीकरण युक्तिसंगत नही था क्योंकि उस क्षेत्र में परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 37.50 ईच संभावित वृष्टि की जगह वास्तविक औसत वृष्टि 1980-85 के दौरान 37.50 ईच थी । 1985-86 के अंत तक योजना की अनुपाती लार्भ लागत परियोजना रिपोर्ट में परिलक्षित 1.81 की जगह केवल 0.47 ही रहा । तृतीय समायित परियोजना (मसरिया) में 886 हेक्टेयर लक्ष्य की जगह केवल 830 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया और मार्च 1986 के अंत तक 850 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई । मसरिया परियोजना के कार्यान्वयन में वृद्धि के होने के कारण प्रति हेक्टेयर सिंचाई लागत में वृद्धि मूल अनुमान में दिये गये 6208 रू0 की अपेक्षा 21,412 रू0 हो गई ।

कंडिका-4.1.4-जल एवं भूमि प्रबंधन:

तीनों समाचित परियोजनाओं (गोबाई, बॉया बॉकी और मसरिया) में आवश्यक होने के बावजूद भी बारावंदी प्रणाली लागू नही की गई थी (1984-85) और (1985-86) के दौरान बांया बांकी और गोबाइ परियोजनाओं में 19 प्रतिशत तक पानी की क्षति हुई । विभाग ने जल की क्षति का कारण कमांड क्षेत्र में कृपकों को जल के उचित उपयोग करने के प्रशिक्षण की कमी बतलाया (सितम्बर 1986)

कंडिका-4.1.5- (1) लाभप्रद लेबी (बेटरमेन्ट लेवी)

नियमानुसार लाभप्रद लेवी सिंचाई से प्राप्ति एक श्रोत है । विभाग ने

लाभप्रद अंशदान उगाही के संबंध में लेखा परीक्षा के समक्ष कोइ भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया । गोबाई, बाया बांकी और मसरिया परियोजनाओं (जो जनवरी 1980 और मार्च 1984 के बीच पूरी की गई 7 के अभिलेख के नमूना जॉच से पता चला कि परियोजना अनुमान में लाभप्रद लेवी लगाकर इन परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में कमी करने का प्रावधान था । विताधिकारियों से लाभप्रद लेवी की वसूली के लिए विभाग द्वारा सरकार के पास अधिसूचना निर्गत करने के लिए प्रस्ताव नही भेजने के परिणामस्वरूप अगस्त 1986 तक 7.52 लाख रूप्ये की वसूली नही हो सकी ।

(2) जल उपकर (वाटर सेस):

सिंचाई परियोजनाओं के राजस्व की मुख्य श्रोत जल उपकर की उगाही है । 1986 के अन्त तक विभाग के अभिलेखों के अनुसार वृहत और मध्यम परियोजनाओं दोनों के लिए बकाया शेष 3268.28 लाख रूपये थे । परियोजना बार ब्योरे के अभाव में लेखा परीक्षा द्वारा केवल मध्यम परियोजना के लिए बकाया शाष सुनिश्चित नही किया जा सका । अभिलेखों के जॉच से निम्न बातों की पता चला :-

(क) अधिसूचना जारी करने में विलम्ब :

नियमों के अनुसार अधिसूचना के निर्गत होने के 45 दिनों के बाद जल शुल्क वसूल की जाती है । गवाई, मसरिया, पारस और बॉयाबाकी योजनाओं के संबंध में, सरकार ने जल शुल्क की दर तय करते हुए । मई 1984 को अधिसूचना जारी की । यद्यपि सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति जनवरी 1980 और मार्च 1984 में ही प्रारम्भ की गई थी । अधिसूचना जारी करने में विलम्ब 13 से 52महीने के फलस्वरूप 7043 हेक्टेयर सिंचाई के जल शुल्क के रूप में 3.34 लाख रू0 की हानि हुई ।

(ख) जल उपकर नहीं लगाया जाना:

उदेरास्थान परियोजना में (आंशिक रूप से पूरी की गई) 1974-75 से 1983-84 के दौरान 1.44 लाख हेक्टेयर के कुल सिंचित क्षेत्र का अपेक्षा केवल 1.37 लाख हेक्टेयर के लिए जल शुल्क राजस्व के लिए निर्धारित किये गये । 0.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कर निर्धारण नही किया गया जिस पर 40.77 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से गणना करने पर 2. 58 लाख रूपये तक के राजस्व की हानि हुई जिसका कारण नहीं बतलाया गया (मार्च 1987) ।

राजस्व प्रमंडल (राँची को जलपथ प्रमंडल द्वारा सूदकार प्रस्तुत नही करने के कारण पारस बॉया बांकी समरिया और गोवाई परियोजनाओं से 3859 हेक्टेयर (290 हेक्टेयर रब्बी और 3569 हेक्टेयर खरीफ) को जल की आपूर्ति नही की गई थी जिसमें 1984-85 और 85-86 के लिए 1.81 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई । विभाग द्वारा इसका कारण नहीं बतलाया गया (मार्च 1987)।

(ग) जल उपकर से संग्रहण में कमी :

1985-86 तक पैमार सिंचाई योजना (आंशिक रूप से समापित) द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए जल शुल्क की मॉग 11.17 लाख रूपये की गई जिसमें से केवल 5.04 लाख रूपये ही उक्त अवधि में संग्रहित किये गये । राजस्व प्रमंडल द्वारा इस कमी (55 प्रतिशत) का कारण प्राकृतिक आपदायें और कर्मचारी की कमी बताया गया (सितम्बर 1986)।

कंडिका-4.1.6-

निष्फल व्यय । हानि आदि के मामले जो लेखा परीक्षा में देखे गये निम्न है:

(क) निष्फल व्यय:

पारस नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्राक्कलन में एक कार बांध के निर्माण की व्यवस्था नही की गई थी

संशोधित परियोजना प्राक्कलन में एक. काकर-बांध के निर्माण के लिए 2.21 लाख रू0 का प्रावधान किया गया । मार्च 1980 में अधीक्षण अभियंता ने सरकार से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया बिना ही एक काकर बांध क निर्माण का आदेश दिया । कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए छोटे-छोटे ग्रुपों में विभाजित कर 1. 97 लाख रूपये की लागत पर कर दिया गया । मई 1980 में (कॉकर बांध की एक भाग वर्षा के कारण बह गया जनवरी 1983 में 0.67 लाख रूपये की लागत पर पुन: एक कॉकर बांध का निर्माण किया गया और बांध का नदी वाला भाग पूरा नही किया गया । मई 1980 में मुख्य अभियंता ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि कॉकर बांध का निर्माण आवश्यक था । इस पर 2.64 लाख रूपये के निष्फल व्यय के लिए मुख्य अभियंता द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण (मई 1980) अधिकरण अभियंता अभी तक अपेक्षित है (मार्च 1987)

(ख) हानि:

अधिग्रहण हेतु अधिसूचित भूमि को अगले अधिकार में विना ही पारस जलाशय के शीर्ष कार्य का निर्माण मार्च 1973 में शुरू किया गया था जिसके कारण मुआवजा भुगतान के लिए जन आन्दोलन शुरू हो गया । फलस्वरूप मार्च 1978 में निर्माण कार्य रोक दिया गया तथा विभाग द्वारा अनुमानित 15.90 लाख रू0 के मूल्य के मिट्टी कटाई कार्य,पत्थर बालू गुरगुट (कंकड़) आदि की हानि हुई ।

(2) फुलवरिया जलाशय की मिट्टी के बांध की कुल लम्बाई 3725 फीट थी जिसमें से 4 से 12 चेन के बीच 900 फीट बांध नदी तल पर था । उत्लवन मार्ग और निकाय की डिजाईन को अंतिम रूप देने के पूर्ण बांध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया और 10 से 12 चेन पर ओर 4 से 6.5 चेन पर निर्माण कार्य क्रमशः सितम्बर 1983 और मार्च 1984 में पूरा किया गया । 6.5 चेन से लेकर 10 चेन पर बांध के बचे हुए

नदी तल भाग का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के आरंभ होने के पहले नदी को बन्द किए बिना ही शुरू कर दिया गया । चेन 10 पर अधुरे बांध का अनारक्षित दाहिना पार्श्व भाग 14 जून 1984 को बाढ़ द्वारा ध्वस्त हो गया जिसके कारण 3.50 लाख घनफीट मिट्टी कटाई कार्य, जिसका मूल्य 2.35 लाख रू0 की क्षति हुई । चेन 10 पर क्षतिग्रस्त बांध की सुरक्षा हेतु 0.42 लाख रूपये की लागत पर सुरक्षात्मक उपाय किये गये (जून 1984) थे । प्रमंडल ने बताया (अगस्त 1986) कि वर्षा ऋतु से पूर्व नदी को बन्द नही किया जा सका क्योंकि उत्पलवन मार्ग और निकाय की डिजाईन का अनुमोदन मुख्य अभियंता के विचाराधीन था ।

(3) मार्च 1977 में कार्यपालक अभियंता ने प्रमंडलिया वन पदाधिकारी पूर्व प्रमंडल, राँची को पारस जलाशय के निर्माण हेतु आवश्यक 24.87 एकड़ वन भूमि के स्थानान्तरण के लिए 0.45 लाख रूपये मूल्य के खड़े वृक्षों की लागत सहित 1.70 लाख रू0 दिये । जून 1983 में बांध का निर्माण समाप्त हुआ था । फिर भी सरकार को वन के क्षेत्रों की किसी के द्वारा कोई भी राजस्व जमा नहीं किया गया जिससे विभाग को 0.45 लाख रू0 की हानि हुई । अभिलेख के अभाव में इस विषय पर प्रमंडल कोइ सूचना नहीं दे सका (अगस्त 1985) ।

कंडिका-4.1.7-अन्य महत्वपूर्ण बातें :

(क) बदुआ द्वितीय अनुपूरक परियोजना:

जनता की मांगों पर बदुआ नदी प्रर बांध के बांये और दाहिने हर में समान पानी की आपूर्ति हेतु दोनों निकासो बलिका एवं जलाशयों के निर्माण के लिए भी जुलाई 1973 में 173.84 लाख रू0 का एक प्राक्कलन तैयार किया गया। सितम्बर 1975 और जुलाई 1983 के बीच प्राक्कलन को पॉच वार संशोधित किया गया किन्तु अगस्त 1986 तक न तो प्रशासनिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से संस्वीकृति किया गया ही निधि की व्यवस्था की गई । तथापि

विभाग ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और 1973-74 से 1978-79 के दौरान इस पर 55.15 लाख रूपये (जलाशय 25.15 लाखों भवन 20 लाख, पत्थर बिछावें में 10 लाख रू0) ।व्यय अन्य संस्वीकृत निर्माण कार्यो को निधियों की राशि को दिकपरिवर्त्तन द्वारा किया । संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नही होने के कारण अप्रील 1979 से निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया और अगस्त 1986 तक शुरू नहीं किया गया था । प्रमंडल ने बताया (अगस्त 1986) कि द्वितीय पूर्वक योजना के साथ सम्पूर्ण बदुआ जलाशय योजना "आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत शुरू किया गया था जिसके लिए अग्रिम योजना प्रमंडल द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम शुरू किया गया था ।

(ख) बकाया अग्रिम :

उदेरास्थान जलाशय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले जहानाबाद जलपथ प्रमंडल के दो अनुमंडलीय अधिकारियों के पास 1976 के अन्त तक 2.60 लाख रू0 अग्रिम के रूप में बकाया था । उक्त रकम के प्रमाणकों को जो प्रमंडलीय अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए थे न तो पारित किए गये और प्रमंडलीय लेखे में समायोजित किए गये (अगस्त 1986) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमाणकों को स्वीकृत हीं किए जाने का अभिलिखित रूप में कोई कारण नही बताया गया ।

मंत्रिमंडलीय विवरणी निगरानी विभाग के रूप एक दल द्वारा जॉच (मार्च 1977) के उपरान्त बताया गया कि विभागीय कार्य जो बिना संस्वीकृत अनुमान की उपस्थिति नामावली पर कराये गये थे, अनियमित था और उसका स्थल निरीक्षण संभव नहीं था क्योंकि उस वर्ष पूर्व किए गये सभी निर्माण कार्य वर्षा और बाढ़ द्वारा बह गये होंगे ।

मुख्य अभियंता सिंचाई द्वारा गठित समिति द्वारा विभागीय जॉच भी कराये गये (मार्च/अप्रील 1984) जिसमें अपना मंतव्य दिया (सितम्बर 1985) कि नहर

की मरम्मत, नहर को गाद रहित करने आदि से सम्भावित 1.64 लाख रू0 की उपस्थिति नामवली और उसका स्थल निरीक्षण उस स्थिति में सम्भव नहीं था। अत: समिति ने सम्भावित अनुमंडलीय अधिकारियों से उक्त रकम की वसूली का सुझाव दिया (सितम्बर 1985) प्रमंडल ने बताया (अगस्त 1986) कि संबंधित अनुमंडलीय अधिकारियों का वर्तमान पदस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा था और वसूली में समय लगेगा इस संबंध में आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा थी (अप्रैल 1987) । 0.96 लाख रू0 (अन्य अनुमंडल अधिकारी के पास बकाया) की उपस्थिति मानावली और विधि प्रमाणकों के संबंध में समिति ने अनुशंसा की कि सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर इस करम को समायोजित किया जाय। निधि प्राप्त करके और प्रमाणकों को स्वीकार करने से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (मार्च 1987) ।

(ग) सामग्री की कमी:

फुलवरिया जलाशय परियोजना के शीर्ष निर्माण कार्य में प्रमंडल होने के लिए डेहरी-ऑन-सोन रेलवे स्टेशन से रजौली तक 387 टन एम० एस० रोड के विभागीय परिवहन के सिलसिले में 1979 में 0.56 लाख रू0 मूल्य के 20 से 22 एम० एम० डाया एम० एस० रोड के 13.787 टन की कमी हुई ।

विभागीय अर्थात् विभाग ने बताया (अगस्त 1986) कि कमी कर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और लागत की वसूली करने संबंधी प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही थी । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी (अप्रैल 1987) ।

उपर्युक्त विन्दुओं की सूचना सरकार को अक्टूबर 1986 में दी गई उत्तर की प्रतीक्षा (अप्रैल 1987)।

विभागीय स्पष्टीकरण:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (सिविल) की कंडिका- 4.1,4.1.1,4.2.2,4.1.3 तथा 4.1.4 के संबंध में ।

कंडिका-4.1 मध्यम सिंचाई परियोजना:

4.1.1- प्रस्तावना:

वर्त्तमान परिभाषा के अनुसार 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10-00 हेक्टेयर से कम की सिंचाई क्षमता वाली परियोजनाओं को मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

वार्षिक योजना 1979-80 के अन्त तक 173 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूरी हुई तथा 5-58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई । छठी । पंचवर्षीय योजना में पहले की 24 मध्यम परियोजनाएँ पूरी की गई । इस अवधि में 7 नई मध्यम परियोजनाएँ प्रारम्भ की गई जिनकी मूल प्राक्कलित राशि 39-73 करोड़ रूपये की थी । इन 7 मध्यम परियोजनाओं पर छठीं योजना (1980-85) के दौरान 24-12 करोड़ रूपये का व्यय हुआ । यह सही है कि छठीं योजना में ली गई इन सात नई परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना छठीं योजना के दौरान पूरी हीं हुई क्योंकि इनकी प्राक्कलित राशि पुनरीक्षित होकर (141-03)करोड़ रूपये की हो गई (इन परियोजनाओं की कुल सिंचन क्षमता 0-38 लाख लाख हेक्टर में से 0-08 लाख हेक्टर की क्षमता छठी योजना के दौरा सृजित कर ली गई । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से कुल 5-95 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई ।

वर्ष 1985-86 के दौरान छठी योजना के पहले की 20 तथा छठी योजना को 7 परियोजनाएँ कार्यान्वयन में थी । सातवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 में पूरी की गई 12 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 1 परियोजना (अनराज जलाशय) सातवी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985-86 में ही पूरी की गई थी। अन्य परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण धन राशि की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, निर्माण सामग्री की पर्याप्त मात्रा मे अनुपलब्धता, परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि है ।

वर्ष 1984-85 तक अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना तक सभी मध्यम परियोजनाओं पर 360-76 करोड़ रूपए निवेश किए गये । वर्ष 1985-86 के दौरान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर निवेशित रकम 53-34 करोड़ रू0 है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तक निवेशित राशि और उनसे सृजित सिंचन क्षमता की तुलना में छठी योजना के दौरान निवेशित राशि तथा उनसे सृजित क्षमता कम हुई इसका मुख्य कारण श्रम एवं निर्माण सामग्री की मूल्य वृद्धि एवं भूमि की कीमत में वृद्धि है ।

वर्ष 1985-86 के अन्त तक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 5-56 लाख हेक्टर क्षमता का उपयोग किया गया जो सृजित क्षमता 6-79 लाख हेक्टर का 81-88 प्रतिशत है ।

दस परियोजनाओं यथा गोबाई, बईकांकी, मसरिया,फुलवरिया,बटाने पैमार,पारस, सुन्दर और बदुआ द्वितीय अनुपूरक के संबंध में एक विवरणी संलग्न की जाती हे जिसे अद्यतन स्थिति स्पष्ट है ।

कंडिका-4.1.3-प्रत्यक्षा और वित्तीय प्रगति :

प्रसंगित दस परियोजनाओं के संबंध में निवेश, समय और अतिरिक्त लागत, लक्षित और सृजित क्षमता और सिंचित क्षेत्र का ब्योरा परिशिष्ट-4.1 में दिया गया है ।

(i) इस विवरणी से यह स्पष्ट होता हे कि दो परियोजनाएँ, यथा गोबाई बराज तथा बदुआ द्वितीयक अनुपूरक परियोजना, समय सीमा के अन्दर पूरी हुई। दो परियोजनाएँ, यथा मसरिया और पारस परियोजना, तीन वर्ष, एक परियोजनाएँ यथा बॉयी बांकी जलाशय सात वर्ष तथा पॉच परियोजनाएँ, यथा फुलवरिया, बटाने, पैमार, सुन्दर तथा उदेरास्थान सिंचाई क्रमशः 11, 13, 14, 15 और 16 वर्ष विलम्ब से पूरी हुई । इन दस परियोजनाएँ

को मूल लागत 16-75 करोड़ रूपये की थी जो पुनरीक्षित होकर 98-09 करोड़ रूपये की हो गई । इसके मुख्य कारण थे निधि का अभाव, अर्जन की समस्या, निर्माण सामग्रियों का समय पर उपलब्ध होना, परियोजना का स्कोप में परिवर्त्तन तथा श्रम की मूल्य वृद्धि ।

(iii) 1985 तक 16-75 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 0-12) लाख हेक्टर की सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 10 परियोजनाओं की रूप-रेखा बनाई गई । 1985-86 तक 71-38 करोड़ रूपये का व्यय किया गया तथा 0-67 लाख हेक्टर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई। अद्यतन 0-65 लाख हेक्टर की वास्तविक सिंचाई हुई जो लक्षित क्षमता का 92 प्रतिशत तथा सृजित क्षमता का 96 प्रतिशत हुआ ।

(iv) गोमई बराज की कुल लागत 0-65 करोड़ रूपये की थी जो पुनरीक्षित होकर 2-58 करोड़ रूपये की हो गई इसकी लक्षित क्षमता 4-89 हजार हेक्टर का पूरा-पूरा सृजन समय सीमा के अन्दर कर लिया गया । वर्ष 1985-86 तक 2-03 हजार हेक्टर को वास्तविक सिंचाई दी गई ।

(v) बांयी कांकी जलाश्य मूल प्राक्कलन 0-37 करोड़ रूपये से बढ़कर 0-99 करोड़ रूपये का हुआ तथा परियोजना पूरी होने में सात (7) वर्ष का विलम्ब हुआ । परियोजना की लक्षित क्षमता 1-20 हजार हेक्टर सृजित कर ली गई है तथा इससे वास्तविक सिंचाई 1-00 हजार हेक्टर में की गई ।

(vi) फुलवरिया जलाशय का मूल प्राक्कलन 4-85 करेड़ रूपये से बढ़कर 37-78 करोड़ रूपये हो गया तथा ।। वर्ष विलम्ब से यह परियोजना पूरी हुई । लक्षित क्षमता 9-60 हजार हेक्टर का सृजन कर लिया गया इससे वास्तविक सिंचाई, खरीफ और रब्बी मिलाकर 9-91 हजार हेक्टर में दी गई ।

(vii) मसरिया जलाशय का निर्माण कार्य तीन वर्ष विलम्ब से पूरा हुआ । मूल प्राक्कलित राशि 0-44 करोड़ रूपये से बढ़कर 1-85 करोड़ रूपये की हुई । लक्षित क्षमता 0-73 हजार हेक्टर का सृजन कर लिया गया और वास्तविक सिंचाई, खरीफ, रब्बी मिलाकर 1-13 हजार हेक्टर में दी गई।

(viii) बटाने जलाशय का मूल प्राक्कलन 4-01 करोड़ रूपये से बढ़कर 34-78 करोड़ रूपये का हुआ जिसमें से 1985-86 तक 17-06 करोड़ रूपये का व्यय तथा 1991-92 तक 28-08 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। परियोजना को मार्च, 93 में पूरा करने का कार्यक्रम है । इस तरह परियोजना के स्कोप में काफी परिवर्त्तन हुआ लक्षित क्षमता अब 6-00 हजार हेक्टर से बढ़कर 8-50 हजार हेक्टर की हो गई, जिसमें से 6-00 हजार हेक्टर की क्षमता सृजित कर ली गई है तथा निर्माण अवधि में ही 4-47 हजार हेक्टर को सिंचाई दी जा रही है ।

(ix) पैमार बराज की मूल लागत 0-89 करोड़ रूपये से बढ़कर 2.18 करोड़ रूपये की हुई तथा परियोजनाओं पूरी करने में 14 वर्ष का विलम्ब हुआ। लक्षित क्षमता 8-09 हजार हेक्टर का सृजन कर लिया गया तथा इससे 7-80 हजार हेक्टर की सिंचाई की जा रही है ।

(x) पारस जलाशय को पूरा होने में 3 वर्षों का विलम्ब हुआ । मूल प्राक्कलन 1-53 करोड़ रूपये से बढ़कर 6-42 करोड़ रूपये की हुई । लक्षित क्षमता 3-47 का सृजन कर लिया गया है तथा वास्तविक सिंचाई 3-90 हजार हेक्टर में दी जा रही है ।

(xi) सुन्दर डैम का मूल प्राक्कलन 1-92 करोड़ रूपये का था । परियोजना पूरी होने में 13 वर्षो का विलम्ब हुआ । पुनरीक्षित प्राक्कलन 5-89 करोड़ रूपये का व्यय कर लक्षित क्षमता 9-50 हजार हेक्टर सृजन कर लिया गया । वास्तविक सिंचाई हजार हेक्टर में दी गई है ।

(xii) बदुआ द्वितीय अनुपूरक का मूल प्राक्कलन -02 करोड़ रूपये का था जिसके समक्ष 1-49 करोड़ रूपये का व्यय किया गया । इस परियोजना

का निर्माण समय सीमा के पहले ही काम बन्द कर दिया गया । इस परियोजना से अतिरिक्त सिंचाई खमता का सृजन का कोई लक्ष्य नही था,क्योंकि बदुआ जलाशय की क्षमता को स्थापित करने के लिए ही इस परियोजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया था ।

(xiii) उदेरास्थान सिंचाई का मूल प्राक्कलन 0-96 करोड़ रूपये से बढ़कर 4-13 करोड़ रूपये का हो गया परियोजना को पूरा करने में 16 वर्षो का विलम्ब हुआ । लक्षित क्षमता 24-89 हजार हेक्टर का सृजन कर लिया गया जिनसे 23-30 हजार हेक्टर की सिंचाई दी जा रही है ।

कंडिका-4.1.4-जल एवं भूमि प्रबंधन:

विभाग में जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के सम्यक प्रबंधकीय ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल एवं भूमि प्रबंधन संसान (वाल्मी) का गठन किया गया है । इस संस्थान में सिंचाई अभियंताओं के अतिरिक्त कृषि शास्त्री, अर्थ शास्त्री, समाज शास्त्री एवं मिट्टी वैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ताकि जल एवं भूमि प्रबंधन को क्षमता में वृद्धि लाकर राज्य में उपलब्ध जल के उपयोग में कमी लाई जा सके ओर बचाए गए इस तरह के जल का अन्यत्र उपयोग किया जा सके । साथ ही भूमि को उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके । संस्थान द्वारा किसानों एवं सिंचाई कार्यो में लगे अभियंताओं के बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है । संस्थान द्वारा कुछ परियोजनाओं के कमाण्ड में एक्शन रिसर्च तथा कोलाबोरेटिभ रिसर्च का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इन कार्यक्रमों में कृषकों से प्रचुर सहयोग प्राप्त हो रहे है । इ0एस0 एण्डकी वित्तीय सहायता संस्थान में आधुनिकतम उपस्कर, रिसर्च लेबोरेटरी, पुस्तकालय, प्रशिक्षण के आधुनिक यंत्र आदि उपलब्ध कराये गये है । खगौल (पटना) में इस संस्थान का अपना भवन तथा परिसर का निर्माण किया गया है । इस संस्थान से विभाग की सिंचाई प्रबंधन को काफी बल मिलेगा ।

क्र0	परियोजना का नाम	मूल	पुनर्रा -वृत्ति अनुमान	मार्च 1986 के अन्त तक निवेश	लक्ष्य समापन की वास्तविक तिथि	अतिरेक की सीमा समय	लागत	लंबित क्षमता	सृजित क्षमता	उपयो- जित क्षमता	उपयोगिता की कम की प्रतिशतता लंबित क्षमता	सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गोबाई बराज	0.65	2.58	2.58	दिसम्बर,84 1982-83	–	1.93	4.89	4.89	2.03	–	–
2	बांयी बांकी जलाशय	0.37	0.99	0.99	1974 1980-81	7	0.62	1.20	1.20	1.00	–	–
3	फुलवरिया जलाशय	4.85	37.18	28.79	अक्टूबर78 1988-89	11	32.93	9.60	9.60	9.91	–	–
4	मसरिया जलाशय	8.55	1.85	1.85	मार्च,80 1982-83	3	1.30	0.73	0.73	1.13	–	–

	जलाशय				1982-83							
5	बटाने जलाशय	4.01	34.78	17.06	जून,80 1992-93	13	30.77	8.50	6.00	4.47	–	30
6	पिआर बराज	0.89	2.18	2.18	मई,71 1984-85	14	1.29	8.09	8.09	7.80	–	–
7	पारस जलाशय	1.53	6.42	–	मार्च,81 1983-84	3	4.89	3.47	3.47	3.90	–	–
8	सुन्दर डेम	1.92	5.89	5.89	जून,72 1984-85	13	3.97	9.50	9.50	11.28	–	–
9	कादुआ जलाशय	1.02	1.49	1.49	1985 1982-83	–	0.47	–	–	–	–	–
10	उदेरास्थान सिंचाई	0.96	4.13	4.13	1979 1984-85	16	3.17	24.89	24.89	23.30	–	–
	कुल	16.75	98.09	64.96			81.34	70.87	68.37	64.82	–	

कंडिका 4.1.5 का विभागीय स्पष्टीकरण:

इस प्रतिवेदन में सन्निहित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाएँ जल संसाधन विभाग, राँची परिक्षेत्र के अधीन है :-

1. पारस जलाशय योजना ।
2. गोवाई सिंचाई योजना ।
3. मसरिया सिंचाई योजना ।

प्रारूप कंडिका में उठाई गई विन्दुओं का प्रतिवेदन निम्नांकित है :-

(1) लाभप्रद लेवी:

इस कंडिका में बिहार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (लाभप्रद अंशदान) अधिनियम 1959 का हवाला देते हुए गोवाई, बांया बांकी और मसरिया योजनाओं के विरूद्ध अगस्त,1986 तक कुंल 7.52 लाख रूपये की लेवी नहीं वसूल होने के संबंध में आपत्ति की गई है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गोवाई एवं मसरिया परियोजनाएँ बंगाल सिंचाई अधिनियम-1876 के अधीन ली जाने संबंधी अधिसूचना । मई,1984 को निर्गत की गई है । इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभप्रद लेबी वसूलने का प्रावधान नही है । अत: सरकार की कथित वित्तीय हानि नही हुई है ।

(1) कंडिका-2-

जलकर वसूली से संबंधित 32.68 लाख रूपये बकाये की वसूली के संबंध में राजस्व प्रशासन वर्त्तमान स्थिति से अवगत करायेगे ।

(क) इस परिक्षेत्र के अन्तर्गत गोवाई, मसरिया एवं पारस जलाशय योजनाओं में जलकर वसूली हेतु अधिसूचना निर्गत करने में बिलम्ब के कारण जल शुल्क में हानि के संबंध में आपत्ति की गई है ।

इस संबंध में अभिलेखों के आधार पर स्थिति निम्नप्रकार है :-

पारस, गोवाई एवं मसरिया योजनाओं की बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876 के अन्तर्गत अधिसूचना सरकार द्वारा क्रमशः एस.ओ. 584,53,579 सभी दिनांक 1.5.84 द्वारा निर्गत कर दी गई। मसरिया जलाशय योजना हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए प्रथम प्रस्ताव उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची ने निदेशक, राजस्व प्रशासन, पटना को पत्रांक 132 मुख्य दिनांक 31.3.84 द्वारा समर्पित किया। पारस एवं गोवाई जलाशय योजना हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए प्रथम पस्ताव भेजने का प्रसंग अनुपलब्ध है।

(ख) राजस्व प्रमंडल, राँची को जलपथ प्रमंडल, राँची द्वारा सूदकार प्रस्तुत नहीं करने के कारण पारस, बॉया बांकी, मसरिया एवं गोवाई परियोजनाओं से 3850 हे0 जलापूर्ति के विरूद्ध फरवरी, 1987 तक वर्ष 84-85 एवं 85-86 के पटवन के विरूद्ध 1.81 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

सूदकार के कारण राजस्व की हानि से संबंधित मात्र तीन योजनाएँ पारस, मसरिया एवं गोवाई इस परिक्षेत्र से संबंधित है। बॉया बांकी एवं उदेरास्थान योजनाएँ अन्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत है। जलपथ प्रमंडल, राँची द्वारा इन परियोजनाओं से संबंधित वर्ष 84-85 एवं 85-86 का सूदकार राजस्व उप समाहर्त्ता को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी उन्होंने प्राप्ति भी स्वीकारी है। राजस्व प्रमंडल के अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोवाई परियोजना से प्रथम सूद का 82-83 का उन्हें मिला है।

चूँकि सूदकार प्रस्तुत कर दिया गया इसलिये राजस्व की हानि नहीं हुई।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस प्रारूप कंडिका को बिलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

पूरक उत्तर के रूप में सूदकार संबंधी विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रं.	योजना का नाम	सूदकार खतियानी 82-83	(एकड़ में) 83-84	84-85	85-86
1	2	3	4	5	6
1	पारस जलाशय योजना	-	-	155/153	3893/3135
2	गोबई जलाशय	1789.12	राजस्व प्रमं0 में इसका पता नहीं लग पा रहा है।	1641/1424	1625/722
3	मसरिया जलाशय योजना	-	-	990/978	1332/1332
	योग:-	1789.12	-	286/2555	6850/5189

कंडिका 4.1.6 का विभागीय स्पष्टीकरण:

समान्यत: बॉध के पूरे भाग का निर्माण एक साथ प्रारम्भ कर पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता है । नदी भाग को बन्द करने का कार्य बाद में ही किया जाता है । इस बीच यदि अप्रत्याशित बाढ़ आ जाता है तो बॉध के कुछ भाग क्षति होना स्वभाविक है और उसकी मरम्मति का प्रावधान भी परियोजना प्राक्कलन में किया जाता है (पी0-मेन्टेनेंश) निर्माण के समय रख -रखाव) में कुल प्राक्कलित राशि के एक प्रतिशत का प्रावधान किया गया हे जो मापदंड केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी निर्धारित है ।

नदी में पानी सामान्यत: 30 जून के बाद ही आता है इस बीच जो भी निर्माण का कार्यक्रम बनता है वह 30 जून के बाद ही आता है इस बीच जो

भी निर्माण का कार्यक्रम बनता है वह 30 जून तक के लिए ही बनाया जाता है । प्रासंगिक प्रक्षेत्र में भी प्राय: वर्षा अगस्त माह में आती है । इसी प्रत्याशा में कार्य 6.5.84 को प्रारम्भ किया गया था ताकि नदी भाग का कार्य 30 जून तक डी0एस0एल0 तक कराकर सुरक्षात्मक कार्य कर दिया जायें एवं बाकी कार्य अगले कार्यकारी मौसम में कराया जाने का प्रस्ताव था । परन्तु 14.6.84 को ही उच्चतम बाढ़ आ जाने से क्षति हुई जिसकी मरम्मति पर उक्त राशि व्यय की गयी ।

ऐसी परिस्थिति में 4.1.6 (ख-2) का उत्तर उचित मानते हुए उक्त कंडिकाओं को निरस्त किया जा सकता है ।

कंडिका-4.1.7 का विभागीय स्पष्टीकरण:

(क) उल्लेखित कार्य पर 1973-74 से 78-79 तक प्राप्त आवंटन के विरूद्ध व्यय किया गया है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक एच0/पी0-15-10/78-1528 दिनांक 8.2.78 द्वारा 197.22 लाख रूपये का गो-एहेड आदेश वित्तीय वर्ष 77-78 के अनु0 में (माह फरवरी 78) में दिया गया है तथा उसके बाद वर्ष 78-79 में मात्र 15,000/- रूपये आवंटन दिया गया हे तथा उसके बाद अभी तक इस पर आवंटन शून्य रहा है । अत: यह स्पष्ट है कि यह गो-एहेड आदेश दिये गये व्यय के नियमितिकरण के लिए माना जा सकता है ।

कंडिका-4.1.7-

(ख) मुख्य अभियंता, पटना को अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

कंडिका-4.1.7-

(ग) फुलवरिया जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने के लिए डेहरी-ऑन- सोन रेलवे स्टेशन से रजौली तक 387 टन एम0एस0 रॉड के विभागीय परिवहन के सिलसिले में 79 मे0टन 20 से 22 एम0एम0 डामा के एम0एस0 रॉड के 13.787 के स्थान पर 10.139 मे0टन की कमी हुई थी । कमी पायी गयी कुल 10.139 मे0टन छड़ का मूल्य वर्ष 79 के दर के आधार पर कुल 35,022.13 रूपया ऑकी गयी । इस राशि की वसूली संबंधित कनीय अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद से कुल 70 किस्तों में कर ली गयी है ।

2. अत: विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी है ।

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

पत्रांक 1728, पटना, दिनांक 28.2.2002

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

विषयः- सी0ए0जी0 पारा-4.1.7 वर्ष 85-86 के संबंध में ।

महाशय,

ठस पारा की प्रतिलिपि संलगन है ।

2- इस संबंध में जलपथ प्रमंडल, जहानाबाद के कार्यपालक अभियंता की प्रति भी संलग्न है ।

3- कंडिका (ख) 4.1.7 के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई अविलम्ब किया जाय और सूचित किया जाय ।

अनु0- यथावत् ।

विश्वासभाजन,
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.2

कंडिका-4.2-लोक निधि का दुरूपयोग:

उत्तरी कोयल बांध परियोजना के इस्पात की जरूरतो को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग, क्रय एवं परिवहन निदेशक ने एक फर्म को 127 लाख रूपये की कुल लागत पर 4,100 टन स्टील की आपूर्ति करने के लिए आदेशदिये (जून 1979) इस राशि की आपूर्ति की कोई तिथि अनुबंधित किये बिना ही अग्रिम के रूप में फर्म की भुगतान कर दिया गया (जुलाई 1979)

सामग्री आपूर्ति करने के लिए 127 लाख रू0 के अग्रिम भुगतानके विरूद्ध 8 अगस्त 1979 तक 64.18 लाख रूपये की सामग्री की आपूर्ति की गई । शेष 62.82 लाख रूपये मूल्य का इस्पात अभी तक (सितम्बर 1986) आपूर्ति नही किया गया था । विभाग द्वाराबकाया अग्रिम वसूल करने में असफल होंने के कारण फर्म के पास 62.82 लाख रू0 की सरकारी रकम 7 वर्ष से अधिक समय से पड़ी हुई है जिसके परिणामस्वरूप लोक-धन का भयंकर दुरूपयोग हुआ । वस्तुस्थिति की सूचना सरकार को सितम्बर 1984 में और पुन: नवम्बर 1986 में दी गयी थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रील 1987)

विभागीय स्पष्टीकरण:

कार्यपालक अभियंता, मोहम्मदगंज द्वारा उपर्युक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध प्राप्त लौह-छड़ की मात्रा 2146.70 मे0ट0 है जिसकी कीमत रूपये 64,18,413. 49 पै0 हुआ और शेष राशि रूपये 62,81,58.51 पै0 अर्थात् 62.82 लाख रूपये कम्पनी के यहाँ लम्बित बताया गया है । वस्तुत: उकत शेष राशि 62.82 लाख रूपये के विरूद्ध कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रमंडलों मे लौह सामग्रियों की आपूर्ति विभागीय आदेश के तहत की गई है जिसके आधार पर प्रमंडलवार सत्यापित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र.	प्रमंडल का नाम	इन्भ्वायस संख्या एवं तिथि	राशि
1	सिंचाई प्रमंडल, मधुपुर	859 दि0 13.3.81	45,283.24
2	त्रिवेणी नहर निर्माण प्र0, नरकटियागंज	743 दि0 30.1.81	3,59,219.58
		793 दि0 20.2.81	5,12,487.42
			5,58,242.17
3	पश्चिमी कोशी नहर प्र0-3,राजबिराज	080 दि0 20.4.81	53,781.60
		869 दि0 14.3.81	1,68,693.95
		873 दि0 15.3.81	58,666.76
		926 दि0 25.3.81	3,35,117.46
		061 दि0 18.4.81	57,187.77
		064 दि0 18.4.81	56,291.41
		067 दि0 18.4.81	57815.22
		073 दि0 20.4.81	59,787.21
		074 दि0 20.4.81	59518.30
		075 दि0 20.4.81	58,935.67
		579 दि0 22.7.81	54,633.14
		581 दि0 23.7.81	55,630.61
		582 दि0 23.7.81	55,951.64
		586 दि0 23.7.81	60538.51
4	बाढ़ नियंत्रण प्र0, वरिलयारपुर	857 दि0 13.3.81	1,24,480.00
5	बाढ़ नियंत्रण प्र0, ब्रहमपुर,रघुनाथपुर	894 दि0 17.3.81	1,31,387.44
6	सिंचाई प्रमंडल, मधेपुरा	239/35 दि0 31.8.81	62,48.68
		239/45 दि0 31.10.81	55,469.98
7	ध्त्रवेणी नहर निर्माण प्र0, रक्सौल	780 दि012.2.81	1,88,007.59

8	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्र0,चांडिल	64/1647 दि0 27.12.79	58,732.35
			1,65,091.96
		64/1671 दि0 9.2.80	3,34,697.24
		64/1701 दि0 15.2.80	2,28,698.93
		64/1749 दि0 26.2.80	64,292.78
		64/1777 दि0 29.2.80	66,749.40
		64/1814 दि0 4.3.80	1,61,944.55
		64/1843 दि0 10.3.80	3,41,467.22
		64/1882 दि0 17.3.80	3,28,105.43
		64/1911 दि0 20.3.80	1,55,797.94
		64/1957 दि0 27.3.80	2,66,166.26
		64/1960 दि0 27.3.80	46,674.46
		64/2007 दि0 31.3.80	3,13,963.77
		64/395 दि0 30.6.80	1,73,200.86
		64/458 दि0 14.7.80	59,876.30
		64/459 दि0 14.7.80	
	कुल		62,80,581.37

इस तरह कुल बतायी गयी लम्बित राशि 62.82 लाख रूपये के विरूद्ध दिसम्बर 79 से जुलाई 1981 के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रमंडलों में लौह सामग्रियों की आपूर्ति की गई है ।

अतएव उपर्युक्त कंडिका को विलोपित कराने की कार्रवाई की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.3

कंडिका-4.3- निष्क्रिय निवेश:

रॉंची जिला अन्तर्गत लतरातु बॉंध के निर्माण के दौरान हिसाब, निष्पादन और दरारों के अनुश्रवण के लिए जलपथ प्रमंडल, बुडू द्वारा 17.87 लाख रू0 की लागत पर जून 1984 में इलेक्ट्रानिक औजार और उपकरण खरीदे गये । जनवरी 1986 तक विभिन्न तिथियों पर आपूर्तिकर्त्ता फर्म को प्रतिभूति जमा के रूप में 1.65 लाख रू0 ओर किप बैंक रकम के रूप में 1.65 लाख रूपये घटाकर कुल 14.57 लाख रूपये दिए गये । मई 1986 तक फर्म को यह उपकरण बॉंध की मुख्य धूरी पर अधिष्ठापित करना था ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना कसी तकनीकी निकासी की प्रतीक्षा में उपकरण को तुरन्त अधिष्ठापित नही किया जा सका । मार्च 1985 में सी. डबलू0सी0 ने बिचार व्यक्त किया कि दोषपूर्ण क्षेत्र का अनुसरण करने के लिए औजार अनावश्यक के और बोडेड उपकरण हाइड्रोलिक संरचनाओं में प्रयुक्त होने के उपर्युक्त नहीं थे । इसके अतिरिक्त सी0डबल0सी0 ने डवीन ट्यूब हाइड्रोलिक फिजामिटर के व्यवहार की अनुशंसा की जो बांध के निष्पादन में अनुश्रवण के लिए उपर्युक्त थे । फिर भी मुख्य अभियंता ने सरकार को नवम्बर 1985 में उपर्युक्त कराकर दिए गये सरकार के व्यवहार करने की अनुशंसा की। भविष्य में किसी अन्य परिक्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक उपकरण के व्यवहार की मनाही करते हुए सरकार ने जनवरी 1986 में मुख्य अभियंता के अनुशंसा को स्वीकार कर लिया जब फर्म को अधिकरण अधिष्ठापित करने को कहा गया (जनवरी 1986) तो अपने स्थल निरीक्षण के बाद विभाग को बताया (मार्च 1986) की बांध की उपकरण की अधिष्ठापन जो आर0एल0 2040 पहुँच गया था गहरा छेद करने/बेधन करने की आवश्यकता थी जिसमें लगभग तीन लाख रूपये की अतिरिक्त व्यय की सम्भावना थी जिसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाय तो इस कार्य को शुरू किया जा सकेगा । विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए संविदा को फर्म के दायित्व ओर लागत पर तोड़ दिया तथा .65 लाख रू0 की प्रतिभूति

जमा और 0.70 लाख रू0 की कीप बैंक रकम 21 जनवरी 1985 को प्राप्त बैंक गारंटी जो तीन महीने के बाद समाप्त हो चुकी थी की जगह 1.58 लाख रू0 पहले ही वापस कर दिया गया था (जब्त कर लिया) । केवल दो साल की गारंटी पर जो उपकरण जून 1984 को प्राप्त किये गये थे उन्हें अभी तक खोला नही गया था (मार्च 1987) । कम से कम एक से दो को पड़ोसी परियोजना को स्थानान्तरित करने की प्रयास भी अभी तक सफल नही हुआ था और उपकरण बिना प्रयोग के के ही पड़ा हुआ था । (अप्रील 87) इस प्रकार बिना उपयोग सुनिश्चित किए जटिल खर्चीले उपकरण की प्राप्ति के फलस्वरूप 16.13 लाख रूपये का निष्क्रय निवेश हुआ ।

वस्तुस्थिति की सूचना सरकार को नवम्बर 1986 में दी गई थी उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रील 1987)।

विभागीय स्पष्टीकरण:

लतरातु बांध के निर्माण के दौरान रिसाव, निस्पन्दन एवं दरारों के अनुश्रवण के लिए 17.87 लाख की लागत पर जून, 1984 में इलेक्ट्रोनिक यंत्र खरीदे गये। यह यंत्र आपूर्तिकर्त्ता को मई, 1986 तक अधिष्ठापित करना था । परन्तु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1985 में इस यंत्र के बदले दूसरे प्रकार के यंत्र की अनुशंसा की गई ।

2. मुख्य अभियंता द्वारा नवम्बर 1985 में पूर्व में आपूरित संयंत्र को ही अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा की गई जिसके फलस्वरूप सरकार ने इस योजना में तो विभाग द्वारा क्रय किये गये यंत्र को लगाने का निर्देश दिया परन्तु दूसरे बाँधों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुशंसित टाईप ही इस्तेमाल करने को दिया ।

3. इस कार्रवाई में कुछ समय व्यतीत हो जाने के कारण बाँध का निर्माण अधिक उँचाई तक हो गया फलस्वरूप यंत्र को लगाने में अतिरिक्त 3.

00 (तीन) लाख की आवश्यकता हो गई जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति नही दी जा सकी ।

4. इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता के संविदा को दायित्व एवं लागत पर तोड़ दिया गया तथा संवेदक के 1.65 लाख की प्रतिभूति एवं 0.07 लाख की "कीप बैक" राशि जब्त कर ली गई ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-4.4

कंडिका-4.4- अतिरिक्त व्ययः

बरनार जलाशय के बायें मुख्य नहर के निर्माण के लिए दिसम्बर 1980 से मार्च 1981 के दौरान विभाग ने आवश्यकता से बहुत पूर्व 19.50 लाख रू0 मूल्य के 48979 बोरे सीमेंट प्राप्त किये । 1983 में परियोजना के डिजाईन और विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया गया और तब तक मार्च (मार्च 1983) तक संबंधित प्रमंडल (सिंचाई प्रमंडल, बटिया) ने 10,320 बोरे सीमेंट दूसरे प्रमंडल में स्थानान्तरित कर दिया और सीमेंट के भंडार का एक अंश (25,760 बोरा) की उपयोग स्वयं दूसरे कार्य में किया और बचे हुए सीमेंट (12,899) बोरे को उक्त फर्मा में व्यवहार करने के लिए रख लिया । विभिन्न येनों पर मुख्य नहर की निर्माण फर्म 1984-85 में आवंटित किया गया । अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार नींव में प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पी0सी0सी0) 1:3:6 के अनुपात में किया जाना था।

चूँकि दिसम्बर 1980 में प्राप्त किए गए सीमेंट लम्बे भंडार के कारण अपनी शक्ति खो चुका था, अधीक्षण अभियंता ने वर्तमान भंडार को खपत करने के उद्देश्य से मई 1984 में प्रमंडल को बिना मुख्य अभियंता से संस्वीकृति प्राप्त किए ही विशिष्टियों में 1:3:6 से 1:2:4 परिवर्तन करने के निदेश दे दिए । इस

प्रकार पी.सी0सी0 मार्च 1985 तक कार्यान्वित किया गया था जिसमें 8,978 बोरे सीमेंट की मूल अनुमोदित आवश्यकता की अपेक्षा 12,900 बोरे सीमेंट का उपयोग नही करे के फलस्वरूप 1.57 लाख रूपये की लागत के (40 रू0 प्रति बैग की दर से मूल प्राप्ति दर) 3,922 बोरे सीमेंट पर उपयोग अधिक हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

बरनार जलाशय योजना के प्रशासनिक स्वीकृति सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1978 में दी गयी । योजना के शीर्ष कार्य यथा मुख्य बांध का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा (अभियंता प्रमुख का पत्रांक 5432 दि0 27.12.77) बिहार राज्य निर्माण निगम को दिसम्बर,77 के अंत में आवंटित किया गया । तद्नुसार बिहार राज्य निर्माण निगम ने मुख्य बांध में खुदाई का कार्य फरवरी,78 के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ किया एवं वर्ष 1978-79 में खुदाई का कार्य प्रगति पर रहा । इस अवधि में बटिया तथा कटहराटॉड़ स्थित उप निवेश में एवं बरनार बॉया मुख्य नहर एवं दॉया मुख्य नहर में कुछ भवनों तथा संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में था । मुख्य बांध तथा भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण के लिए सीमेंट की आवश्यकता को आंकते हुए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा अप्रैल,80 में 3000 मी0 टन सीमेंट का व्यादेश अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, बटिया को समर्पित किया एवं तद्नुसार अधीक्षण अभियंता, बटिया ने उक्त व्यादेश को निदेशक, क्रय एवं परिवहन सिंचाई विभाग, पटना को आपूर्ति हेतु भेजा । मुख्य अभियंता, सिंचाई देवघर ने भी सीमेंट की आवश्यकता को देखते हुए निदेशक, क्रय एवं परिवहन पटना को अपने पत्रांक 6 शिविर पटना दिनांक 8.7.80 द्वारा शीघ्र सीमेंट आपूर्ति हेतु अनुरोध किया । निदेशक, क्रय एवं परिवहन पटना ने अपने आपूर्ति आदेश संख्या-6/मु-सीमेंट/80(10)/106 दिनांक 1.11.80 द्वारा सिंचाई प्रमंडल, कटहराटॉड़ को 2550 मी0ट0 सीमेंट आपूर्ति का आदेश सिन्द्री फैक्ट्री को निर्गत किया एवं इसी आपूर्ति आदेश के विरूद्ध दिसम्बर,80 से मार्च, 81 के बीच 48,979 बोरे विभिन्न अवर प्रमंडलों को प्राप्त हुआ ।

क्योंकि केन्द्रीय जल आयोग, नयी दिल्ली से बांध का कार्यकारी का नक्शा प्राप्त नही हो सका तथा साथ ही मुख्य बांध के मोडेल की जॉच नहीं हो सकी । अत: मुख्य बॉध का निर्माण कार्य स्थगित कर देना पड़ा फलस्वरूप आपूरित सीमेंट को मुख्य बॉध निर्माण के कार्य में उपयोग में नही लाया जा सका। किन्तु उसी समय में अन्य निर्माण कार्यो यथा भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया गया तथा साथ ही अन्य प्रमंडलों को सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार सीमेंट हस्तानान्तरित किया गया । बचे हुए सीमेंट का लम्बी अवधि तक भंडारण के कारण सीमेंट के शक्ति में ह्रास हुआ जिसे बाद में स्वीकृत संरचनाओ यथा बरनार बॉयी मुख्य नहर के चेन 12,20,27,69 एवं 89 के नीव इत्यादि के निर्माण में एकरारनामा की विशिष्टि यथा 1:3:6 एवं 1:4:8 को अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, बटिया के निदेशानुसार परिवर्तित कर 1:2:4 तथा 1:3:6 के अनुपात में व्यवहार मे लाया गया । विशिष्टि परिवर्तन के लिए अधीक्षण अभियंता स्वयं सक्षम है जो मुख्य अभियंयता, सिंचाई देवघर के पत्रांक 2/टी-1-170/85-1204 देवघर दिनांक 13.5.85 से भी स्पष्ट होता है । फिर भी अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, बटिया ने मौखिक रूप से मुख्य अभियंता, देवघर से सहमति प्राप्त कर ली थी जो अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, बटिया के पत्रांक 1005 दिनांक 11.4.85 से स्पष्ट है ।

उपरोक्त वणित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि सीमेंट की आपूर्ति निर्माण कार्यो की आवश्यकयता को देखकर ही ली गयी थी । मुख्य बॉध का निर्माण कार्य बंद हो जाने के कारण सीमेंट का उपयोग नही किया जा सका जिसे बाद में संरचनाओं के निर्माण में कार्यहित में विशिष्टियों में परिवर्तन कर उपयोग में लाया गया । इस तरह बचे हुए सीमेंट को पूर्णत: बर्वाद होने से बचाया जा सका। परियोजना के लौह इन स्टॉक में ऐसे आकस्मिक कारणों से हुए क्षति का प्रावधान है जिसकी राशि रू0 22,88,000.00 मात्र है ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 85-86(सिविल) की कंडिका-5.3 (ख)

कंडिका-5.3-(ख)- सीमेंट का जम जाना:

जनवरी 1977 और अगस्त 1982 के बीच कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रभार हस्तान्तरण के समय किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि 4388 बोरे सीमेंट निम्नलिखित प्रमंडलों में जम गए थे जिसका कारण 2. 11 लाख रू0 की हानि हुई ।

क्रं.	प्रमंडल का नाम	जमे बोरे की संख्या	मूल्य (लाख रू0 में)
1	निस्सरण और अन्वेषण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	2998	1.50
2	सेन नहर प्रमंडल, गोपालगंज	1390	0.61
	कुल :-	4388	2.11

विभागीय स्पष्टीकरण:

जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के सात पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गयी ।

सीमेंट सेट होने के लिए अन्ततः छः पदाधिकारियों को विभागीय आदेश संख्या क्रमशः 882, 883, 884, 885, 886 एवं 887 दिनांक 20.11.2001 के द्वारा दंडिक किया गया है । इसमें वसूली का दंड भी सन्निहित है ।

यह मामला वर्ष 77-80 का है ।

विभाग इसमें समुचित कार्रवाई की गयी है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति उत्तर से संतुष्ट होकर इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटना :
दिनांक 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति

परिशिष्ट

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ० सं० 22/नि० सि० (सिवान) 11-129/94/887 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण/अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55 ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण पूछा गया, परंतु स्मार के बाद भी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । अतएव उपबन्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी । सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) श्री सिन्हा के लापरवाही के चलते 1658 बोरा सिमेन्ट सेट कर जाना, जिसके कारण सरकार को 72,952/- रुपये की क्षति होना ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 72,952/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1978-79)

तद्नुसार श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल संसाधन अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

(परमानन्द पासवान)

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2103 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, प्रर्याप्त कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी, बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना दो प्रतियों में/प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 एवं 22 तथा श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग से अनुरोध है कि इस आदेश की एक प्रति का तामिला श्री सिन्हा को शीघ्र सुनिश्चित कराने का कृपा करें ।

परमानंद पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

आ० सं०-22/नि०सि० (सिवान) 11-129/94/886 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री कृष्ण तिवारी तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण/अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री तिवारी से स्पष्टीकरण पूछा गया, परंतु स्मारित करने के बाद भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । अतएव उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी । सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) श्री तिवारी के लापरवाही के चलते 929 बोरा सिमेन्ट सेट कर जाना, जिसके कारण सरकार को 40,876/- रुपये की क्षति होना ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री तिवारी को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 40,876/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1978-79)

तद्नुसार श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल संसाधन अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2102 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सचिव प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग/ प्रभारी वायोडाटा कोषांग, जल संसाधान विभाग बिहार, पटना/उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/श्री राम दशरथ प्रसाद शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधान विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, शाखा पदाधिकारी-5, 7, 8, 12, 13, 19 एवं 22 कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल वौसी, भागलपुर/श्री कृष्ण तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निरसरण अनुसंधान प्रमंडल मुजफ्फरपुर सम्प्रति पदस्थापित लघु सिंचाई अनुमंडल, वौसी भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार
जल संसाधान विभाग

आ॰ सं॰ 22/नि॰सि॰ (सिवान) 11-129/94/885 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री हृदयेश्वर पाठक तत्कालीन कनीय अभियंता, सारण नहर अवर प्रमंडल, गंडक योजना, बरौली के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री पाठक से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी । सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) दिनांक 22.2.82 को हालांकि आपके द्वारा सिमेंट का प्रभार दिया जाना, किन्तु कुछ दिनों के बाद श्री सोमेन्द्र बख्शी, सहायक अभियंता के द्वारा 1390 बोरा सेट सिमेंट पाया जाना, अर्थात् आपके द्वारा भी सिमेंट रख-रखाव में लापरवाही बरतना । श्री सोमेन्द्र बख्शी द्वारा एक विशेष परिस्थिति में सिमेंट का प्रभार इनसे लिया जाना ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री पाठक को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

क. 695 बोरा × 44/- रु॰ 30,580/- रुपये की वसूली

ख. चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1981-82)

तद्नुसार श्री हृदयेश्वर पाठक, तत्कालीन कनीय अभियंता, सारण नहर अवर प्रमंडल, गंडक परियोजना बरौली को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2101 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सचिव प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधान विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग/ प्रभारी वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग समस्तीपुर/श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधान विभाग पटना,/कार्यपालक, अभियंता, बाढ़ निर्धारण प्रमंडल, खगड़िया/प्रशाखा पदाधिकारी-7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 एवं 22 तथा श्री हृदयेश्वर पाठक कनीय अभियंता अवर प्रमंडल संख्या-1 खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परमानंद पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

अ० सं० 22/नि०सि० (सिवान) 11-129/94/884 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री महेश पाण्डेय तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु स्मार के पश्चात् भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। अतएव उपबन्ध अभिलेखा के आधार पर मामले का समीक्षा की गयी तथा सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) श्री पाण्डेय के लापरवाही के चलते 83 बोरा सीमेन्ट सेट कर जाना जिसके कारण सरकार को 3652 रुपये को क्षति होना ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री पाण्डेय को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 3652/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1981-82)

तद्नुसार श्री महेश पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2100 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सचिव प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रभारी वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में) प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/ प्र. पदा. 7, 8, 12, 13, 19 एवं 22 तथा श्री महेश पाण्डेय तत्कालीन कनीय अभियंता जल निस्सरण अनुसंधान प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग से अनुरोध हैं कि इस आदेश को एक प्रति का तामिल श्री पाण्डेय को शीघ्र सुनिश्चित कराने की कृपा करें ।

परमानंद पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

आ० सं०-22/नि०सि० (सिवान) 11-129/94/883 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सोमेन्द्र बख्शी तत्कालीन सहायक अभियंता सारण नहर अवर प्रमण्डल, गंडक योजना, बरौली के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री बख्शी से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी । सम्यक समीक्षोपरान्त श्री बख्शी के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये।

(क) दिनांक 22.2.82 को श्री बख्शी द्वारा श्री हृदयेश्वर पाठक, कनीय अभियंता से सीमेन्ट लिया जाना, जिसमें बाद में 1390 बोरा सेट सिमेन्ट पाया जाना। श्री बख्शी को चार्ज लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए था कि सेट सिमेन्ट का प्रभार ले रहे है अथवा नहीं क्योंकि 14.8.82 को उन कार्यों हेतु श्री बख्शी द्वारा 14152 बोरा सिमेन्ट निर्गत किया जाना ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री बख्शी को सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 695 बोरा × 44/- रु० 30,580/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1982-83)

तद्नुसार श्री सोमेन्द्र बख्शी, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण नहर अवर प्रमण्डल, गंडक योजना बरौली को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है ।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2099 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग/उप सचिव वित्त/वे. दा. नि. को विभाग बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ श्री राम पदारथ प्रसाद शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/ प्र. पदा. 5, 7, 8, 12, 19 एवं 22 तथा श्री सोमेन्द्र बख्शी कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल, दरखा, शिविर पकरी पराया, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परमानंद पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

आ॰ सं॰-22/नि॰सि॰ (सिवान) 11/129/94/882 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सुरेश प्रसाद मंडल तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्तरण अनुसंधान प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री मण्डल से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी । सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री मण्डल के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) श्री मंडल के लापरवाही के चलते 328 बोरा सीमेन्ट सेट कर जाना जिसके कारण सरकार को 14,432 रुपये को क्षति होना । इनका यह कथन मान्य नहीं कि ये पूर्व से 100 बोरा सेट सिमेन्ट पाये थे, क्योंकि जब ये चार्ज लिये तो उसी समय इनको देखना चाहिए था ।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री मण्डल को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 14,432/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1981-82)

तद्नुसार श्री सुरेश प्रसाद मंडल, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधाान प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

परमानन्द पासवान

सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2098 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल सं०-1, बटेश्वर स्थान/प्र. पदा. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 एवं 22 तथा श्री सुरेश प्रसाद मंडल, कनीय अभियंता गंगा पम्प नहर प्रमण्डल सं-1, बटेश्वर स्थान, शिविर शिव नारायणपुर, पो.-मथुरापुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परमानंद पासवान

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

आ॰ सं॰-22/नि॰सि॰ (सिवान) 11-129/94/882 पटना,

दिनांक-20.11.2001

आदेश

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 85-86 (सिविल) की कंडिका 5-3 के आलोक में समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सुरेश प्रसाद मंडल तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियमावली के नियम-55ए के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार श्री मण्डल से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री मण्डल के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये ।

(क) श्री मंडल के लापरवाही के चलते 328 बोरा सीमेन्ट सेट कर जाना जिसके कारण सरकार को 14,432 रुपये को क्षति होना । इनका यह कथन मान्य नहीं कि ये पूर्व से 100 बोरा सेट सिमेन्ट पाये थे, क्योंकि जब ये चार्ज लिये तो उसी समय इनको देखना चाहिए था।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री मण्डल को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

(क) 14,432/- रुपये की वसूली

(ख) चेतावनी (प्रविष्टि वर्ष 1981-82)

तद्नुसार श्री सुरेश प्रसाद मंडल, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

परमानन्द पासवान
सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक 2098 पटना, दिनांक 20.11.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै. दा. नि. को.) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, प्रबंधक कोषांग (श्री मुरली मनोहर प्रसाद) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल सं०-1, बटेश्वर स्थान/प्र. पदा. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 एवं 22 तथा श्री सुरेश प्रसाद मंडल, कनीय अभियंता गंगा पम्प नहर प्रमण्डल सं-1, बटेश्वर स्थान, शिविर शिव नारायणपुर, पो.-मथुरापुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परमानंद पासवान
सरकार के उपसचिव

मूद्रक : प्रभा इंटरप्राईजेज, खजांची रोड, पटना-4